भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 367

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आत्महत्या की समस्या का समाधान

367. श्री आनंद भदौरियाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान आज की तारीख तक आत्महत्या करने वाले किसानों की वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या 2025 के पहले तीन महीनों के दौरान महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में किसानों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्या की समस्या के समाधान के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सी2 प्लस 50 प्रतिशत का फार्मूला लागू करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ' में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एन.सी.आर.बी. की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एम.एस.पी. को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एम.एस.पी. में लगातार वृद्धि की है।

*****